State Governments regarding movement i of Pak ISI agents, anti-national elements and insurgents.

दिल्ली में अपराध

356. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराध करने वाले 90 प्रतिशत लोग वे हैं जिन्होने अपराध-जगत में पहली बार प्रवेश किया है,

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार का आंकलन क्या है,

(ग) क्या सरकार ने अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अपराध-जगत में प्रवेश करने के कारणों का पता लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जघन्य अपराधों के सिलसिलें में चालू वर्ष (अक्तुबर, 1998 तक) के दौरान उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका दिल्ली पुलिस के पास कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। इस तथ्य के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक स्वरूप के प्रतीत होते हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि उच्च आकांक्षाओं इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए हैं।

कानून और व्यवस्था कर स्थिति को सुधारने के लिए किए गए उपायों में गश्त को तेज करना, विशेष रूप से शाम 6.00 बजे से 10.00 बजे तक, ज्ञात आपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना, आसूचना संग्रहण में सुधार बदनाम स्थानों और अपराधियों छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना शामिल है।

कैबरे नृत्यों और सौदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध

357. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सामाजिक संस्था या अन्य सूत्रों ने देश के चार महानगरों विशेषकर दिल्ली में, कैबरे नृत्य और सौन्दर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आग्रह/मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग/आग्रह पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है या लेने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराधियों के लिए सेल्यूलर फोन को प्रतिबन्धित किया जाना

358. **श्री ईश दत्त यादव** :

प्रो. रामगोपाल यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली सहित देश के विभिन्न स्थानों पर बढते हुए अपराधों के बारे में सही मायनों में चितित है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपराधियों के लिए वरदान साबित हो रहे "सेल्युलर फोन" पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है या प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब तक लगा दिये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) देश में सेलुलर फोन सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। लाइसेंस करार की शर्तो में सुरक्षा सम्बधी मामलों के प्रभावी निपटान के लिए पयाप्त उपायों का उपबन्ध किया गया है।

भारत में पाक-प्रायोजित आतंकवादी शिविर

359. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री रमा शंकर कौशिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर खोले गये हैं,

(ख) यदि हां, तो इन प्रशिक्षण शिविरों की संख्या क्या है और ये कहां –कहां पर स्थित है, और

(ग) इन प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट /बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का और कब तक करने का विचार है?